प्रकाशन हेतु अनिमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

खंड पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति आई. एम. क़ुद्दूसी एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट याचिका क्रमांक 6273/2005

एस. के. मालवर एवं अन्य

विरुद्ध

भारत संघ तथा अन्य

विचार हेतु आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री आई. एम. क़ुद्दूसी न्यायमूर्ति

सही /-
आई. एम. क़ुद्दूसी
न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु सूचीबद्ध 23/06/2010

सही /-
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति आई. एम. क़ुद्दूसी एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट याचिका क्रमांक 6273/2005

वादीगण: एस. के. मालवर तथा अन्य

बनाम

प्रतिवादीगण: भारत संघ तथा अन्य

उपस्थित:

श्री एच एस आहलूवालिया, अधिवक्ता वास्ते वादीगण

श्री नौशीन आफ़रीन आली, अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादिगण क्र. 1,3,4,5,एवं 6.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226/227 भारतीय संविधान

आदेश

(दिनांक 23-06-2010 को पारित)

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा:

इस रिट याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिनांक 27-10-2005 (उपाबंध पी-1) को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मूल आवेदन क्रमांक 467/2005 को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल आवेदन क्रमांक 467/2005 प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने समान श्रेणी में गार्ड के पद पर पदोन्नति के समय उनके वेतन में कई चरणों की कटौती को चुनौती दी थी तथा गार्ड पद पर ₹1200-2040 (आर.पी.एस.) वेतनमान में पदोन्नति की तिथि से, जब-जब उन्हें वर्ष 1989 में पदोन्नति दी गई थी, उनके वेतन निर्धारण हेतु नियम 22(C) (आर.आर.-

22(C)) के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की थी कि वरिष्ठ ट्रेन नंबरिंग क्लर्क (आगे 'वरिष्ठ टी.एन.सी.') के रूप में उनका वर्तमान वेतन सुरक्षित रखा जाए तथा पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देय और स्वीकृत वेतन अंतर, वेतनवृद्धि तथा भत्ते सहित ब्याज, बाजार दर पर, उन्हें प्रदान किए जाएं।

3. संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ताओं को आदेश दिनांक 30-7-1986 (उपाबंध पी-2) के द्वारा ₹330-560 के वेतनमान में, जो ₹1200-2040 के तुल्य वेतनमान के अनुरूप था, तदर्थ रूप से स्थानाप्पन क्षमता में वरिष्ठ ट्रेन नंबरिंग क्लर्क (वरिष्ठ टी.एन.सी) के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तत्पश्चात दिनांक 28-8-1988 तथा 11-2-1989 को आयोजित उपयुक्तता परीक्षा के आधार पर ₹1200-2040 के वेतनमान में वरिष्ठ ट्रेन नंबरिंग क्लर्क (वरिष्ठ टी.एन.सी) के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण की। उक्त उपयुक्तता परीक्षा का परिणाम दिनांक 19-6-1989 (उपाबंध पी-3) को घोषित किया गया, किन्तु वरिष्ठ टी.एन.सी. के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए उपयुक्तता परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व ही, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 7-4-1989 (उपाबंध पी-4) के आदेश के अनुसार ₹1200-2040 (आर.पी.एस.) के वेतनमान में गुड्स गार्ड के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ताओं ने माह अप्रैल, 1989 में विभिन्न तिथियों पर गुड्स गार्ड के रूप में पदभार ग्रहण किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, गार्ड्स के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद, उनके वेतन को गुड्स गार्ड्स के न्यूनतम वेतन तक घटा दिया गया, जो नियमों के प्रतिकूल था, और उन्हें तीन से पाँच वेतनवृद्धियों से नीचे कर दिया गया, तथा वेतन के गलत निर्धारण के विरुद्ध उनकी पृथक-पृथक अभ्यावेदन तथा दिनांक 24-2-1999 का संयुक्त अभ्यावेदन (मूल आवेदन के साथ उपाबंध ए-7) निष्प्रभावी रहे। याचिकाकर्ताओं रेलवे बोर्ड के दिनांक 24-5-1999 के पत्र (उपाबंध पी-5)

पर अवलंब लेते हुए, नियम एफ. आर.-22(C), जो अब नियम 1313(एफ आर 22)(1)(ए)(I) आर-II है, के अनुरूप विधिसम्मत वेतन निर्धारण का दावा कर रहे हैं।

5. इसके उपरांत याचिकाकर्ताओं ने मूल आवेदन क्रमांक 822/1999 दायर किया, जिसका निपटारा दिनांक 20-4-2004 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा इस निर्देश के साथ किया गया कि याचिकाकर्ताओं विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत एवं कारणयुक्त आदेश पारित कर निर्णयित किया जाए। बाद में उनके अभ्यावेदन खारिज कर दिए गए और तत्पश्चात उन्होंने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन क्रमांक 467/2005 दायर किया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

6. उत्तरवादिगण/रेलवे का अभिमत यह है कि उपयुक्तता परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ टी.एन.सी के रूप में नियमित पदोन्नति मिल पाने से पूर्व ही, वे अप्रैल, 1989 के माह में विभिन्न तिथियों पर समान वेतनमान में गुड्स गार्ड्स के पद पर कार्यग्रहण कर चुके थे; अतः एफ आर -22(C) में निहित प्रावधान के आलोक में, जिसे भारतीय रेल स्थापना संहिता के एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14 (परिशिष्ट R-3) द्वारा स्पष्ट किया गया है, उन्हें उस वेतन संरक्षण का अधिकार नहीं है जो वे स्थानाप्पन वरिष्ठ टी.एन.सी के रूप में प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि उक्त स्पष्टीकरण में उल्लेख है कि नियमित रूप से पदोन्नत कर्मचारी को समान ग्रेड में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण का हक होता है, परन्तु जहाँ पूर्ववर्ती समान ग्रेड में पदोन्नति तदार्थ आधार पर हुई हो, वहाँ ऐसा संरक्षण उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादिगण के अनुसार, जब वे गुड्स गार्ड्स के रूप में नियुक्त हुए, उस समय वे वरिष्ठ टी.एन.सी के रूप में नियमित रूप से पदोन्नत नहीं थे, अतः उनका वेतन उनके विद्यमान नियमित पद अर्थात ट्रेन नंबरिंग क्लर्क (टी.एन.सी) के वेतनमान ₹950-1500 के आधार पर निर्धारित किया गया, और यह प्रचलित नियमों के अनुसार किया गया। रेलवे द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि रेलवे बोर्ड का परिपत्र दिनांक 24-5-1999

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(उपाबंध पी-5) उन स्थितियों में लागू होता है जहाँ नियमित पदोन्नति की जाती है, न कि तदार्थ पदोन्नति के मामलों में।

7. इस याचिका में विचारणीय एवं निर्णयार्थ विवाद्यक यह है कि क्या याचिककर्ता नियम 1313(एफ आर 22)(1)(ए)(I) आर-II पूर्वतः F.R.-22(C) के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के दिनांक 24-5-1999 के पत्र (उपाबंध पी-5) के लाभ के अधिकारी हैं, या यह अधिकार इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्हें वरिष्ठ टी.एन.सी के रूप में नियमित पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई थी।

8. उपाबंध आर-1 दिनांक 12-12-1991 का रेलवे बोर्ड का पत्र है, जिसके साथ नियम 1313 में संशोधन करते हुए एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14 तथा 15 संलग्न हैं। एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14 के क्लॉज (1) और (2) का अवलोकन अपेक्षित है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14

भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण-1987) के प्रचलित नियम 1313 (FR-22) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1313(एफ आर 22)(1)

समय-मान वेतनमान पर नियुक्त किसी रेल सेवक का आरंभी वेतन निम्नानुसार विनियमित होगा:-

(क)(1) जहाँ कोई रेल सेवक, जो एक पद पर, कार्यकाल पद को छोड़कर, स्थायी या अस्थायी या स्थानाप्पन क्षमता में कार्यरत है, उसे, संबंधित भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन, किसी अन्य ऐसे पद पर, जो उसके द्वारा धारित पद की अपेक्षा अधिक महत्त्व के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों वाला हो, स्थायी, अस्थायी या प्रभाररूप क्षमता में, यथास्थिति, पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है, तो उच्चतर पद के समय-मान वेतनमान में उसका आरंभी वेतन

उस अगले पढ़ाव पर निर्धारित किया जाएगा, जो उस अनुमानित वेतन से एक पढ़ाव ऊपर हो, जो उसके अधीनस्थ पद पर, जिसे वह नियमित रूप से धारित कर रहा है, प्राप्त वेतन में उस प्रावस्था पर, जहाँ ऐसा वेतन अर्जित हुआ है, एक वेतनवृद्धि जोड़कर या केवल पच्चीस रुपये जोड़कर, जो भी अधिक हो, निकाला गया हो।

प्रतिनियुक्ति पर एक्स-कैडर पद पर नियुक्ति या तदार्थ के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति के मामलों को छोड़कर, रेल सेवक को यह विकल्प होगा—जिसका प्रयोग पदोन्नति या नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, की तिथि से एक माह के भीतर किया जाएगा—कि उसका वेतन इस नियम के अधीन उक्त पदोन्नति/नियुक्ति की तिथि से निर्धारित किया जाए, अथवा नए पद के समय-मान वेतनमान में प्रारंभ में उस पढ़ाव पर निर्धारित किया जाए जो उस अधीनस्थ ग्रेड/पद में, जिससे उसे नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है, प्राप्त वेतन से ऊपर वाली पढ़ाव हो, जिसे तत्पश्चात अधीनस्थ ग्रेड/पद के वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि देय होने की तिथि पर इस नियम के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जा सके। जिन मामलों में तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति दी जाती है, वहाँ विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि से स्वीकृत होगा, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु यह कि जहाँ कोई रेल सेवक, उच्चतर पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति/नियुक्ति से ठीक पूर्व, अधीनस्थ पद के समय-मान वेतनमान की अधिकतम पढ़ाव पर वेतन ग्रहण कर रहा हो, वहाँ उच्चतर पद के समय-मान वेतनमान में उसका आरंभी वेतन उस पढ़ाव पर निश्चित किया जाएगा जो उस वेतन से एक पढ़ाव ऊपर हो जो अधीनस्थ पद, जिसे वह नियमित आधार पर धारित कर रहा था, के संबंध में उसके वेतन में

अधीनस्थ पद के समय-मान वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर राशि या पच्चीस रुपये, जो भी अधिक हो, जोड़कर अनुमानतः निकाला गया हो ।

(2) जब नए पद पर नियुक्ति में अधिक महत्त्व के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अधिग्रहण शामिल नहीं हो, तब रेल सेवक प्रारंभिक वेतन के रूप में उस समय-मान वेतनमान की प्रावस्था प्राप्त करेगा जो उसके पुराने पद, जिसे वह नियमित आधार पर धारित कर रहा था, के संबंध में उसके वेतन के बराबर हो; और यदि ऐसी कोई प्रावस्था उपलब्ध न हो, तो उस प्रावस्था पर जो उसके पुराने पद के संबंध में उसके वेतन से अगली उच्च प्रावस्था हो।

परंतु यह कि यदि नए पद के समय-मान वेतनमान का न्यूनतम वेतन, उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पुराने पद के संबंध में उसके वेतन से अधिक है, तो वह प्रारंभिक वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन ग्रहण करेगा।

आगे यह भी कि जिस स्थिति में वेतन समान प्रावस्था पर निर्धारित किया जाता है, वह तब तक वही वेतन प्राप्त करता रहेगा जब तक कि वह पुराने पद के समय-मान वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार न हो जाए; और जिन मामलों में वेतन उच्चतर प्रावस्था पर निर्धारित किया जाता है, वहाँ वह नए पद के समय-मान वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्जित होने की अवधि पूर्ण करने पर अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

नियमित आधार पर ऐसे नए पद पर नियुक्ति होने पर, जो प्रतिनियुक्ति पर एक्स-कैडर पद नहीं है, रेल सेवक को—जिसका प्रयोग ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना होगा—यह विकल्प प्राप्त होगा कि उसके वेतन का निर्धारण नए पद में या तो उस नए पद पर नियुक्ति की तिथि से किया जाए, अथवा पुराने पद में वेतनवृद्धि प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपर्युक्त उद्धृत एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14, जो 12-12-1991 को जारी की गई थी, का परीक्षण एवं स्पष्टीकरण रेलवे बोर्ड द्वारा परिशिष्ट पी-5 दिनांक 24-5-1999 के माध्यम से किया गया, जिसका अवलोकन भी अपेक्षित है और जो निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है :

मशीन क्रमांक: PC-IV/99/07/101/50

भारत सरकार

रेल्वे मंत्रलाय

रेल्वे बोर्ड

मशीन क्रमांक: पी सी-IV/99/07/101/50 क्रमांक 346

RBE 119/99,

नई दिल्ली,

दिनांक: 24.5.99

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महाप्रबंधक — समस्त भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि

विषय:- नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I) आर II (पूर्वतः एफ आर-22(सी)) के अधीन,

समान वेतनमान वहन करने वाले एक पद से दूसरे पद पर नियुक्ति के मामलों में वेतन निर्धारण।

भारतीय रेल में ऐसी परिस्थितिया पाई गई हैं जहाँ फीडर पद और प्रोन्नत पद समान वेतनमान में रखे गए हैं, यद्यपि पदोन्नत पदों पर फीडर पदों की अपेक्षा अधिक महत्त्व के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निहित हैं। दोनों पद कर्मचारी के उच्चतर ग्रेड में आगे की पदोन्नति हेतु ए.वी.सी. का भाग हैं तथा फीडर से प्रोन्नत पद पर गमन चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा सहित या बिना, ट्रेड टेस्ट या अभिरुचि/क्षमता परीक्षा आदि) द्वारा होता है। कर्मचारियों के महासंघों की यह

दीर्घकालिक माँग रही है कि उपर्युक्त प्रकृति के मामलों में नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I) आर II (पूर्वतः एफ आर-22(सी)) के अंतर्गत वेतन निर्धारण प्रदान किया जाए।

इस विषय का रेल मंत्रालय द्वारा, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से परामर्श कर, विस्तार से परीक्षण किया गया है और राष्ट्रपति यह निर्णय करने में प्रसन्न हैं कि 1.1.86 से 31.12.95 के बीच की गई निम्नलिखित प्रकृति की पदोन्नतियों के मामलों में नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I) आर II [पूर्वतः नियम 1316 (एफ आर-22C)] के अंतर्गत वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

	फीडर श्रेणी	वह श्रेणी जिसमें पदोन्नति दी गई
1.	ब्र . मिस्त्री रु 1400-2200	ब्र निरक्षक रु 1400-2300
2.	कार्य मिस्त्री रु 1400-2300	आई ओ डब्ल्यू रु 1400-2300
3.	पी.डब्ल्यू मिस्त्री रु 1400-2300	पी.डब्ल्यू 1 ग्रैड 3 रु 1400-2300
4.	मिस्त्री रु 1400-2300	चार्जमेन 'B' रु 1400-2300
5.	कंसोल अधीक्षक ₹2325-3500	सहायक प्रोग्रामर ₹2375-3500
6.	हैमरमैन ₹950-1500	ब्लैकस्मिथ ₹950-1500
7.	ए.एस.एम./स्टेशन मास्टर ₹1400-2300	ए.वाई.एम. ₹1400-2300
8.	मिस्ट्रि ₹1400-2300	टी.एक्स.आर. ₹1400-2300
9.	स्टेशन मास्टर/वरिष्ठ ट्रेन क्लर्क/एस.डब्ल्यू.एम. ₹1200-2040	गुड्स गार्ड ₹1200-2040
10.	एस.डब्ल्यू.एम. ₹1200-2040	ए.एस.एम. ₹1200-2040
11.	खलासी हेल्पर – रु 800 – 1150	वर्क्स मेट – रु 800-1150

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संबंधित व्यक्तियों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे इन आदेशों के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I) के अंतर्गत उनके वेतन का पुनर्निर्धारण करा सके। जहाँ भी बकाया हो, वहाँ बकाया भी स्वीकृत किए जा सकते हैं।

यदि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाली कोई अन्य श्रेणियाँ किसी व्यक्तिगत रेलवे प्रशासन के संज्ञान में आती हैं, तो संबंधित विवरण सहित एक विशेष प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को आगे के परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है।

5वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के बाद की स्थिति परीक्षणाधीन है और अगले आदेश तक, 1.1.96 के बाद की गई ऐसी समान पदोन्नतियों के मामले वेतन निर्धारण/पदोन्नति संबंधी विद्यमान नियमों द्वारा शासित रहेंगे।

यह पत्र रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

हिंदी संस्करण बाद में जारी किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

(एस. सी. मनचंदा)

कार्यकारी निदेशक, वेतन आयोग

रेलवे बोर्ड

10. नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I पूर्वतः एफ. आर.-22(सी) को एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14 द्वारा संशोधित रूप में तथा रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 24-5-1999 (उपाबांध पी 5) से स्पष्ट किए गए के ध्यान से अवलोकन से, किसी रेल सेवक को दूसरे पद पर पदोन्नत होने पर वेतन संरक्षण प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि पदोन्नति के बाद का पद, उसके पूर्व धारित पद की अपेक्षा अधिक महत्त्व के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों वाला हो। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने याचिका के पैरा 6.7 में उल्लेख किया है कि जिस गुड्स गार्ड के पद पर उन्हें

पदोन्नत किया गया, वह रनिंग स्टाफ की श्रेणी में आता है, जबकि वरिष्ठ टी.एन.सी/ टी.एन.सी (फीडर पद) स्थिर कैडर की श्रेणी में आता है; अतः उनका आग्रह है कि गार्ड का पद अधिक महत्त्व के उत्तरदायित्व वहन करता है। याचिका के पैरा 6.7 में किया गया यह कथन, जिसके उत्तर स्वरूप उत्तरवादियों की जवाब के पैरा 17 में उत्तर दिया गया है, उत्तरवादियों द्वारा खंडित नहीं किया गया है। उत्तरवादियों का एकमात्र आग्रह यह है कि याचिकाकर्ताओं को नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I पूर्वतः एफ. आर.-22(सी), एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14 तथा उपाबंध पी-5 के लाभ का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उनका वरिष्ठ टी एन सी पर पदोन्नयन तदार्थ आधार पर था, अतः उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते। हालाँकि, उपाबंध पी-3 का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में वरिष्ठ टी.एन.सी के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जिससे उपाबंध पी-2 दिनांक 30-7-1986 के तहत वरिष्ठ टी.एन.सी पद पर दी गई उनकी तदर्थ पदोन्नति नियमित हो गई। उपाबंध P-2 से परिलक्षित है कि वरिष्ठ टी.एन.सी के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उपयुक्तता परीक्षाएँ 28-8-1988 एवं 11-2-1989 को आयोजित हुईं। यद्यपि परिणाम 19-6-1989 को घोषित हुए, तथापि वे परीक्षाओं की तिथि से ही प्रभावी माने जाएँगे। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने भी आक्षेपित आदेश के पैरा 5 में अभिलेखित किया है कि याचिकाकर्ताओं को 19-6-1989 को वरिष्ठ टी.एन.सी के रूप में नियमित किया गया। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ताओं को गुड्स गार्ड के रूप में पदोन्नत किया गया—जो अधिक महत्त्व के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों वाला पद है—और वे 28-8-1988 एवं 11-2-1989 को आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 19-6-1989 को वरिष्ठ टी.एन.सी के रूप में नियमित भी हो चुके थे, अर्थात 7-4-1989 को गुड्स गार्ड के रूप में उनकी पदोन्नति की तिथि से पहले।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. उपर्युक्त के आधार पर, यह न्यायालय अभिमत व्यक्त करता है कि याचिकाकर्ता नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I पूर्वतः एफ. आर.-22(सी) के लाभ के अधिकारी हैं, जैसा कि

एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14 द्वारा संशोधित किया गया है और रेलवे बोर्ड द्वारा उपाबंध पी-5 दिनांक 24-5-1999 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अतः विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

12. रेलवे बोर्ड अब याचिकाकर्ताओं का वेतन नियम 1313 (एफ आर-22)(1)(ए)(I पूर्वतः एफ. आर.-22(सी) के लाभ प्रदान करते हुए पुनर्निर्धारित करेगा, जैसा कि एडवांस करेक्शन स्लिप क्रमांक 14 द्वारा संशोधित है और रेलवे बोर्ड द्वारा उपाबंध पी-5 दिनांक 24-5-1999 से स्पष्ट किया गया है। याचिकाकर्ता, उपर्युक्त अभिधारित अनुसार, उनके वेतन के पुनर्निर्धारण के उपरांत वेतन के बकाया के भी हकदार होंगे। अतः रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित/-

आई. एम. क़ुद्दूसी प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shikhar bakhtiyar